# राजस्थान सरकार
# निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/पे–बिल/ 1426 दिनांक :– 16/4/2012

आहरण वितरण अधिकारी
समस्त।

विषयः– ऑनलाइन वेतन बिल ई.सी.एस./एन.ई.एफ.टी./के माध्यम से भुगतान हेतु तैयार करने के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि माह मार्च 2012 के वेतन बिलों का भुगतान यथा संभव ई.सी.एस. के माध्यम से किया जा चुका है। ई.सी.एस. के माध्यम से भुगतान किये जाने पर कुछ विभागों/डी.डी.ओ. के वेतन बिलों में गलतियां पायी गयी, जिस कारण उन बिलों का भुगतान ई.सी.एस. से नहीं किया जा सका एवं विलम्ब से भुगतान हुआ। अतः समय पर एवं सही भुगतान हेतु वेतन बिल बनाते समय निम्न बिन्दुओं की पालना अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करावें :–

1. समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के बैंक विवरण यथा बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम व शाखा के नाम के विवरण कम्प्यूटर में सही रूप से दर्ज हो तथा इसकी पुष्टि कर्मचारी से करवायी गयी हो।
2. एस.बी.बी.जे. के खाताधारक कर्मचारियों के वेतन बिल तथा अन्य बैंकों के खाताधारक कर्मचारियों के वेतन बिल पृथक–पृथक बनाये जावें।
3. कुछ कर्मचारियों के बैंक विवरण में बैंक का नाम एक्सिस बैंक दर्ज था किन्तु खाता संख्या एस.बी.बी.जे. की दर्ज थी। इस प्रकार की त्रुटि को सुधार कर सही विवरण दर्ज करवाया जावें।
4. **वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र संख्या 12/2012 दिनांक 13.04.2012 के अनुसार वेतन बिल ऑनलाइन तैयार कर उस माह की 20 तारीख के पश्चात संबंधित कोषालय/उपकोषालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें।**

भवदीय

16/4/2012
निदेशक

क्रमांकः– एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/पे–बिल/ दिनांक :–

प्रतिलिपिः प्रमुख प्रणाली विश्लेषक एन.आई.सी. को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को पे–मैनेजर की साइट एवं निदेशालय की साइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।

संयुक्त निदेशक (आई.एफ.एम.एस.)

IFMSD:\Modi Ji\IFMS.doc